

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:- नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 93/2024

उनवान

1. मैसर्स श्री राधे गोविन्दम रेजीडेन्सी प्रा0लि0 ऑफिस 20 बादल टैक्सटाईल मार्केट पुर रोड, भीलवाड़ा जरिये जायरेक्टर अनुप तोषणीवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश तो णीवाल आयु वयस्क

—प्रार्थी

बनाम

1. रणजी सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह राजपूत नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज0)
2. हर्ष प्रदीप सिंह पुत्र श्री मानसिंह राणावत नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
3. श्रीमती राजेश्वरी कंवर पत्नी श्री हर्ष प्रदीप सिंह राणावत नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
4. देवी लाल पुत्र श्री देवा लाल कीर नि0 कीरो की झोपडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।(राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 15-07-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 11.06.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ प्रथम पटवार हल्का हमीरगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 2020 की आराजी नम्बर 1574 रकबा 0.4426 हैक्टर, आराजी नम्बर 1575 रकबा 0.1391 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5817 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.06.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम ग्राम हमीरगढ प्रथम पटवार हल्का हमीरगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 2020 की आराजी नम्बर 1574 रकबा 0.4426 हैक्टर, आराजी नम्बर 1575 रकबा 0.1391 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5817 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/-रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर रहे।



(नेहा छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)